

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु. न. 13/18

सरकार

बनाम

श्री.....रजन.....

S/O लक्ष्मण गुर्जर
नि. कर्णपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक.....15/5/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रजन.....पुत्र श्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी कर्णपुर तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/खरीफ में ग्राम कर्णपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 371 रकबा 0.01 (चरागाह) पर अनाधिकृत रूप से शुद्ध एवं बड़ीला डाल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.36 का 50 गुना 18.6 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महवा
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा